न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी0आर0– 5464/13

<u>राज्य बनाम ब्रिजेन्द्र महतो</u>

<u>06/11/2019</u> एक मात्र अभियुक्त ब्रिजेन्द्र महतो की हाजरी दी गई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस पेपर प्राप्त कराया गया।

वाद पुकारा गया पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए उभयपक्षों को आरोप गठन के बिंदू पर सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, वाद दैनिकी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है, इन्हें फंसाया गया है तथा अभिलेख पर आरोप बनाने हेतु पर्याप्त तथ्य नहीं है। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी ने इसका विरोध किया।

उभयपक्षों सुनने के बाद अभिलेख का अवलोकन किया और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त के खिलाफ धारा– 341, 323, 325, 504, 447 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप बना करके अभियुक्त के आरोप का सारांश हिंदी में सुनाया गया इसे हिंदी में अभियुक्तों को समझाया गया जिसे कि वे इंकार करते हैं और विचारण का दावा करते हैं। अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करें। अगली तिथि दिनांक– 17/01/2020 को अभियोजन के साक्ष्य हेतु।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी